

क्रमांक एफ 5/अभि./सीटीएडी/सी.एम.घोषणा 118.0.0/2019-20/26168-79 दि. 03/09/21
उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा ।

विषय- भीखा भाई नहर तंत्र के रख-रखाव/जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण निर्माण
कार्य की राशि के क्रम में।

प्रसंग- आपका पत्रांक 3599-3601 दिनांक 17.08.2021 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 4884 दिनांक 17.02.2020 Raising & Rehabilitation of Narwali & Jagpura Canal in order to feed for Bhikha Bhai Sagwara canal system project की वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 1052.00 लाख जारी की गई।

उपरोक्त कार्य हेतु आयुक्तालय के पी.डी. खाते में विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की निम्नलिखित स्वीकृति में प्राप्त राशि में से उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा को तृतीय किश्त हस्तांतरित की जाती है।

(लाखों में)

क्र.सं.	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक	विभाग द्वारा अब तक हस्तांतरित राशि	तृतीय किश्त हेतु देय राशि
1.	3/2020-21/14.07.2020	550.00	422.14

उपरोक्त कार्य की शेष राशि कार्यादेश अनुसार, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, मांग अनुसार नियमानुसार हस्तांतरित की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रेषित करावें।

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/सीएम घोषणा 118.0.0 नहर तंत्र/2019-20/26168-79 दि. 03/09/21
प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण वृत्त माही प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा।
6. अधिशाषी अभियन्ता, B & RC Division माही प्रोजेक्ट, जिला बांसवाड़ा।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या- 3/2020-21 दिनांक 14.07.2020 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 544.75 लाख में से राशि रु. 422.14 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा को हस्तांतरित करावें।
8. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अति.आयुक्त (द्वितीय)